


भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

राजस्व न्यायालय

नामांतरण अपील वाद संख्या-07/2011-12

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वाद टिप्पणी तारीख साथ										
06.08.2021	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया आवेदक/अपीलार्थी विनोद महतो, पिता-श्रीलाल बाबू महतो, निवासी-बंगाली टोला वार्ड नं0-16, चक्रधरपुर, पो0+थाना-चक्रधरपुर, जिला-प0 सिंहभूम ने अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा नामांतरण वाद संख्या-53/2011-12, दिनांक-04.11.2011 में परित आदेश के विरुद्ध नामांतरण अपील वाद संख्या-07/2011-12 दायर किया गया है। भूमि का विवरणी निम्न प्रकार है:-</p> <table border="1"><thead><tr><th>मौजा</th><th>थाना</th><th>खाता नं0</th><th>प्लॉट नं0</th><th>रकवा</th></tr></thead><tbody><tr><td>चक्रधरपुर नगरपालिका, वार्ड नं0-16</td><td>चक्रधरपुर</td><td>149</td><td>77a</td><td>0.01.814 ए0</td></tr></tbody></table> <p>आवेदक/अपीलार्थी द्वारा दिनांक-02.08.2021 को आवेदन पत्र दाखिल कर बताया गया है कि उक्त भूमि का नामांतरण अंचल कार्यालय, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या-489/2015-16, दिनांक-14.11.2015 द्वारा हो चुका है। आवेदक द्वारा उक्त नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>उक्त तथ्यों पर सम्यक रूप से विचारोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आवेदक/अपीलार्थी का नामांतरण हो चुका है। इसलिए इस वाद में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश/निदेश पारित करने एवं वाद की कार्रवाई को जारी रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय द्वारा इस वाद में बिना गुण दोष का विवेचना किए ही नामांतरण अपील वाद को समाप्त की जाती है।</p> <p style="text-align: center;"> भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पोड़ाहाट चक्रधरपुर।</p>	मौजा	थाना	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	चक्रधरपुर नगरपालिका, वार्ड नं0-16	चक्रधरपुर	149	77a	0.01.814 ए0	
मौजा	थाना	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा								
चक्रधरपुर नगरपालिका, वार्ड नं0-16	चक्रधरपुर	149	77a	0.01.814 ए0								